न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार, मीणा आर.ए.एस

प्रकरण नं :– 78/2018 **दायरा दिनांक :– 24.05.2018**

1. राकेश
2. जगदीश

} पुत्रगण श्री आदुराम जाति जाट साकिन कीकरवाली जोहड़ी . तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. साधूराम
2. गुरदेवराम

} पिसरान सन्तुराम जाति बाबरी साकिन कीकरवाली जोहड़ी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

3. कृष्णादेवी पत्नी
4. श्यामलाल
5. मनमोहन
6. कमलकुमार

} पुत्रगण } प्रयाग जाति ब्राहाम्ण साकिन हरिपुरा हाल कीकरवाली जोहड़ी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

7. सुच्चासिह पुत्र मस्तानसिह जाति बावरी सा किकरवाली जोहड़ी तह. सूरतगढ।
8. दर्शनसिह पुत्र नत्थासिह जाति बावरी सा किकरवाली जोहड़ी तह. सूरतगढ।
9. जोगेन्द्रसिह पुत्र मस्तानसिह जाति बावरी सा किकरवाली जोहड़ी तह. सूरतगढ।
10. जोरा पुत्री कीकरराम जाति बावरी सा किकरवाली जोहड़ी तह. सूरतगढ।
11. पार्वती पुत्री कीकरराम जाति बावरी सा. किकरवाली जोहड़ी तह. सूरतगढ।
12. कृष्णा देवी पुत्री श्योचन्द जाति कुम्हार साकिन किकरवाली जोहड़ी तह सूरतगढ।
13. नुरामदखान (नुरअहमद) पुत्र भादरराम पुत्र समीरा जाति मुसलमान नि 239 आर डी. तह. सूरतगढ।
14. यासीन पुत्र अलादाद पुत्र समीरा जाति मुसलमान नि. 239 आर.डी. तह. सूरतगढ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
16. ताराचन्द पुत्र श्योचंद जाति कुम्हार साकिन 5 ई छोटी रामदेव कॉलोनी श्रीगंगानगर हाल कीकरवाली जोहड़ी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री शिशपाल शर्मा एडवोकेट – प्रार्थीगण
2. श्री धर्मपाल सिहाग एडवोकेट – अप्रार्थी न. 1 ता 8, 10–11–13
3. श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट – अप्रार्थी न. 12
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार – प्रतिवादी न. 15

::– निर्णय –:: **दिनांक :– 21.01.2020**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम से चक 5 एम.एन. डब्ल्यु एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता न. 66/44 के पत्थर न. 113/342 के किला न. 1 ता 8, 13ता 17, 24, 25 मे /3.795 हैक रकबा खातेदारी है, इस रकबा के किला न. 24 व 25 में एक – एक टयूबवैल लगा हुआ है । इसी चक के चिपते चक 239.500 आरडी की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 7/8 के पत्थर न. 119/339 के किला न. 1 ता 25 के 6.325 हैक. रकबा में खातेदारी रकबा है इस रकबा को सिचित करने के लिये चक 5 एमएनडब्लयूएम के पत्थर न. 113/342 के किला न. 24–25 में लगे टयूबवैल से पाईप लाईन जोड़कर जमीन के अन्दर 4 फुट गहरी बीच के रकबा से पिछले 7–8 वर्षो से दबा रखी है। इस टयूबवैल व भूमि में दबी हुई पाईप लाईन से ही चक 239.500 आरडी के रकबा को सिचित किया जाता है। अप्रार्थी न. 1 व 2 के नाम से 5 एमएनडब्लयूएम के पत्थर न.

113/342 के किला न. 11–19–20–22–23 व अप्रार्थी न. 3 ता 6 के नाम से चक 5 एमएनडब्ल्यूएम के पत्थर न. 114/341 के किला न. 1–2–6–7–8 व अप्रार्थी न. 7 के पत्थर न. 115/340 के किला न. 21 व अप्रार्थी न. 8 के नाम के पत्थर न. 115/340 के किला न. 22–23 व अप्रार्थी न. 9 के नाम के पत्थर न. 115/340 के किला न. 24–25 व अप्रार्थी न. 10 के नाम के पत्थर न. 116/340 के किला न. 20 व अप्रार्थी न. 11 के नाम के पत्थर न. 116/340 के किला न. 20 ता 25 व अप्रार्थी न. 12 के नाम के चक 5 एमएनडब्लयूएम के पत्थर न. 117/340 के किला न. 117/340 के किला न. 10–9–12–13–14–17–16 व अप्रार्थी न. 13 व 14 के नाम के पत्थर न. 118/340 के किला न. 1 ता 4 – 6–7 में से प्रार्थी के नाम के चक 239.500 आरडी के पत्थर न. 119/339 के किला न. 25 में आ जाती है। जो जमीन में 3 फुट गहरी दबी हुई है अप्रार्थीगण काफी दिनो से वोटो की वजह से नाराज चल रहे है जो इस दबी हुई पाईप लाईन को तोड़ने की बार – बार धमकी दे रहे है। इसलिये इस दबी हुई पाईप लाईन की स्वीकृति जारी की जावे व अप्रार्थीगण को पाबन्ध किया जावे कि वो दबी हुई पाईप लाईन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनकर दिनाक 24.05.2018 को अप्रार्थीगण के खिलाफ इस दबी हुई पाईप लाईन की यथास्थिति बनाये रखने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनाक 25.05.2018 को पत्थर न. 117/340 के किला न. 16 के खातेदार कृषक ताराचन्द को पक्षकार मुकदमा बनाया गया तथा पत्रावली को अप्रार्थी न. 16 पर ताराचन्द का नाम दर्ज किया गया इसे जरिये नोटिस तलबी का आदेश दिया।

अप्रार्थी न. 1 ता 8, 10–11–13 की और से श्री धर्मपाल सिहाग वकील उपस्थित होकर इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया व अप्रार्थी न. 15 का जवाब स्टेट पेश हुआ तथा अप्रार्थी न. 12 की और से श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी न. 9 ता 16 की तलबी सम्यक रजिस्ट्रर्ड डाक होने के बावजूद उपस्थित ना होने पर इनके खिलाफ दिनाक 31.07.2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई व अप्रार्थी न. 12 ने समुचित अवसर जवाब हेतु देने के उपरान्त भी जवाब ना देने इनका जवाब दिनाक 18.10.2018 को बन्द किया गया व पत्रावली वास्ते बहस रखी गई तथा श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ़ से धारा 251 क आरटीए के लिये बने नियम 68–69–70 में मौका रिपोर्ट मॉगी गई जो दिनाक 19.12.2019 को क्रमाक/राजस्व/रास्ता/1848 से दिनाक 20.12.2019 से प्राप्त हुई। जिसमें रिपोर्ट के साथ नक्शा नजरिया व जमाबन्दी भी प्राप्त हुई रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वरवक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पाईप लाईन की स्वीकृति व दबी हुई पाईप लाईन को अप्रार्थी कोई नुकसान ना पहुचावे इसलिये पाबन्द किया जाने का निवेदन किया जिसका विरोध अप्रार्थी न. 12 के अधिवक्ता ने किया व निवेदन किया कि पाईप लाईन पूर्व में बिना स्वीकृति दर्ज है तथा पाईप लाईन होने पर हमारी फसल टूटती है तथा गैरकानूनी तरीके दबी होने से स्वीकृति नही दी जावे व पाईप लाईन उखड़वाई जावे व अन्य अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की पाईप लाईन की स्वीकृति जारी करने में सहमति प्रकट की।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी ने चक 5 एमएनडब्लयूएम के पत्थर न. 113/342 के किला न. 24–25 में लगे हयु टयूबवैलो से चक 239.500 आरडी के पत्थर न. 119/339 के किला न. 25 तक जमीन में 3 फुट गहरी पाईप लाईन दबा रखी है जिसकी पुष्टी तहसीलदार सूरतगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट से हो रही है तथा इस पाईप लाईन का उपयोग प्रार्थीगण ने

चक 239.500 आरडी के रकबा को सिचित करने के लिये किया जा रहा है तथा अप्रार्थीगण इस पाईप लाईन को किसी तरह का नुकसान ना पहुचाने के लिये प्रार्थी अनुतोष चाहता है। इससे यह साबित है कि यह पाईप लाईन डालते समय अप्रार्थीगण की सहमति थी, परन्तु अब वो लोग पाईप लाईन को नुकसान पहुचाना चाह रहे है इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पाईप लाईन के स्वीकृति जारी कर अप्रार्थीगण को पाईप लाईन को किसी तरह का नुकसान ना पहुचाने के लिये पाबन्द किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र 251 क आरटीए प्रार्थीगण स्वीकार कर चक 5 एमएनडब्लयूएम के पत्थर न. 113/342 के किला न. 24—25 में लगे हुये टयूबवैल से चक 239.500 के पत्थर न. 119/339 के किला न. 25 तक भूमि में दबी हुई पाईप लाईन को अप्रार्थीगण की सहमति से दबी हुई मानकर स्वीकृति जारी की जाती है तथा अप्रार्थी न. 1 ता 16 को पाबन्द किया जाता है कि वो प्रार्थीगण की अप्रार्थीगण के नाम के 5 एमएनडब्लयूएम के पत्थर न. 113/342 के किला न. 11—19—20—22—23 व पत्थर न. 114/341 के किला न. 1—2—6—7—8 व पत्थर न. 115/340 के किला न. 21 व 22—23 व पत्थर न. व 24—25 व पत्थर न. 116/340 के किला न. 20 ता 25 व पत्थर न. 117/340 के किला न. 10—9—12—13—14—17—16 व पत्थर न. 118/340 के किला न. 1 ता 4 — 6—7 में 3 फुट गहरी दबी हुई पाईप लाईन जो चक 239.500 आरडी के पत्थर न. 119/339 के किला न. 25 में प्रवेश करती है इस पाईप लाईन को अप्रार्थीगण दिगर तरीके से किसी तरह का नुकसान नही पहुचायेगे तथा पाईप लाईन लिकेज होने की स्थिति में प्रार्थीगण बिना देरी के इसे दुरूस्त करेगे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एंव सहायक कलक्टर,
सूरतगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.27 18:19:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: